1. TSC / Swajaldhara

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल,

क्रमांक 89 / लो.स्वा.यां.वि./2005 भोपाल ,दिनांक–24/08/2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   जिला– – – – – – – –
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – – – – – – – –
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
   खण्ड – – – – – – – –

विषय :– समग्र स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ियों में बाल अनुकूल शौचालय की व्यवस्था ।

– –000– –

समग्र स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में आंगनवाड़ियों में बाल अनुकूलशौचालय बनाए जाना है । आगनबाड़ियों में शौचालय बनाए जाने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश हैं :–

जीवन के आरम्भिक चरण से ही बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी का उपयोग बच्चों के साथ– साथ आंगनवाड़ी में कार्य करनेवाली माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले मंच के रू‍ में किया जाए । इस उद्देश्यकेलिए हर आंगनबाड़ी को एक बाल अनुकूल शौचालय मुहैया कराया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में हर आंगनबाड़ी या बालबाड़ी के लिए 5,000/– रूपये तक की इकाई लागत वाला एक शौचालय बनाया जा सकता है, जिसमें 3,000/–रूपये तक की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी । अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार या पंचायतों द्वारा किया जा सकता है । चूँकि निजी मकानों से संचालित किए जाने वाली आंगनबाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जा सकती है :–

(क)वे सभी आंगनबाड़ी, जो शासकीय भवनों में है, निर्धारित सीमा तक टी.एस. सी. निधियों में से बाल अनुकूल शौचालय बनाए जा सकते हैं ।

(ख)वे आंगनबड़ी जो निजी भवनों में हैं, मालिक को निर्धारित डिजाइन के अनुसार शौचालय बनाने के लिए कहा जाना चाहिए और निर्माण की लागत का पूरा करने के लिए उसे भवन किराए को बढानने की अनुमति दी जानी चाहिए । इसके अलावा, टी.एस.सी. के तहत शौचालय बनाए जा सकते हैं और एक निर्धारित अवधि तक लागत की वसूली के लिए, मकान मालिक को दिए जाने वाले मासिक किराए में से उपयुक्त कटौती की जा सकती है ।

(ग) उन नए भवनों के लिए, जिन्हें आंगनबाड़ियों के लिए किराए लिया जाना है, सिर्फ उन भवनों को ही किराए पर लिया जाना चाहिए, जिसमें बाल अनुकूल शौचालय सुविधा हों । कुल शासकीय परिव्यय के 10 प्रतिशत से अधिक का उपयोग विद्यालय स्वच्छता ओर आगनबाड़ी शौचालयों के किया जा सकता है ।

उक्त दिशा–निर्देशों के तहत 10 प्रतिशत राशि की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतो को निर्देश दिए जाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही करें । शेष राशि समग्री स्वच्छता अभियान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी । स्कूल में बनाए जा रहें शौचालयों के तथा इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा प्रेषित करें ।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकाश विभाग

(राकेश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग